न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 38/2025 G.C.M.S. No. 2025/372 दर्ज दिनांक : 27.02.2025

अपीलार्थिगण:

1. गिरधारीसिंह पुत्र सवाईसिंह, जाति राजपूत, उम्र 71 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मनोहरसिंह पुत्र सवाईसिंह , जाति राजपूत उम्र 58 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
2. अंतरकंवर पुत्री नरपतसिंह (पत्नि नरपतसिंह) जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष, गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हाल निवासी छापली, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह, जाति राजपूत, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
4. संतोषकंवर पुत्री नरपतसिंह (पत्नि समुन्द्रसिंह) जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हाल निवासी धर्मसर, तहसील कल्याणपुर, जिला बाड़मेर।
5. प्रेमसिंह पुत्र सवाईसिंह, जाति राजपूत, उम्र 75 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
6. विरेन्द्र कंवर पत्नि मनोहरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
7. निहारीका राठौड़ गोदपुत्री मोडसिंह, उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक काकी विरेन्द्र कंवर पत्नि मनोहरसिंह, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
8. पर्वतसिंह पुत्र बख्तावरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 68 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
9. शेरसिंह पुत्र बख्तावरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 73 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
10. विनोद कुमार पुत्र डूंगाराम, जाति ब्राह्मण, उम्र 48 वर्ष, निवासी गांव कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
11. भूमिधारी तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2023 बअनवान मनोहरसिंह बनाम अंतर कंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री पी. एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया, श्री विक्रम शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 5 जरिये आम मुख्तियार श्री जितेन्द्रसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 8 व 9
4. दीगर रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 08.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2023 बअनवान मनोहरसिंह बनाम अंतर कंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा कंटालिया के खसरा संख्या 76, 77/5, 78/1, 79 कुल रकबा 0.9185 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 77/4 रकबा 1.2800 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 73, 74, 75, 75/2, 78, 80, 82 कुल रकबा 5.2335 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाडा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश स्पीकींग आदेश ही नहीं हैं, मात्र वादी के कथन एवं वादपत्र को ही एकमात्र सत्य मानकर विपक्षी पक्षकारों को सुनवाई का अधिकार प्रदान किए बिना जवाबदावा, साक्ष्य, सबूत, तनकियात कायम किए बिना, यहां तक वादी के हिस्से का आकलन किए बिना पारित किया गया है। ऐसा आदेश किसी भी रूप से विधिक आदेश की तारीक में नहीं आता है। इसके साथ पत्रावली एक दिन के लिए भी प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत नहीं की गई। प्रतिवादी की तलबी पूर्ण होने बाबत् भी कोई तथ्य आदेशिकाओं में वर्णित नहीं किया गया, बल्कि पत्रावली शेष प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 की तलबी हेतु फर्द तलबाना सम्मन पुनः पेश होने पर जारी करने के लिए दिनांक 05.08.2024 को नियत रही। तत्पश्चात 07.08.2024, 12.08.2024, 21.08.2024, 20.09.2024 एवं 01.10.2024 को पी.ओ. साहब अन्यत्र व्यस्त होने बाबत् कथन आदेश में वर्णित है अर्थात् बिना प्रभावी कार्य ईल्तवा की गई, दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण आदेशिकाओं में न तो तलबी पूर्ण होने की अवधारणा कायम की गई, न ही प्रतिवादीगण के जवाबदावा पेश होने बाबत् कोई कथन वर्णित है। एकाएक दिनांक 15.10.2024 को प्राथमिक विभाजन पर बहस सुने जाना वर्णित कर सीधे ही उसी दिन प्राथमिक विभाजन आदेश जारी कर दिया। वास्तवः में उक्त तिथि को न तो अधिवक्ता उपस्थित रहे, न ही पेशी की जानकारी किसी को दी गई। एक साथ आदेशिकाएं मनमाने रूप से लिख कर सिधे ही प्राथमिक विभाजन का आदेश जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 25.02.2025 को तहसीलदार, पटवारी व राजस्व कर्मचारी अधिकारी विभाजन प्रस्ताव हेतु मौके पर गए, वर्तमान में फसल खडी होने के कारण पालना भी सम्भव नहीं हैं। फिर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिनस्थ न्यायालय के दबाव प्रभाव व राजनैतिक दबाव प्रभाव से पालना करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी के कोई हक अधिकार ही शेष नहीं रहे हैं। वाद में वर्णित हक–हिस्सा तो कतई राजस्व रेकर्ड से भी अभिपुष्ठ नहीं हैं। फिर भी बदनियति से पालना करने की कार्यवाही की जा रही हैं। जिसे हर दशा में रोका जाना न्यायसंगत एवं विधिनुसार है अन्यथा अपीलार्थी को हक–अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। न्याय व न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आस्था व विश्वास भी कम होगा। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश की कभी कोई जानकारी न्यायालय द्वारा प्रदान ही नहीं की गई। प्रकरण तामिल/जवाब तथा आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के निस्तारण हेतु ही लंबित रहा है। बहस अंतिम हेतु पत्रावली कभी नियत ही नहीं रही। दिनांक 25.02.2025 को तहसीलदार व पटवारी द्वारा प्राथमिक विभाजन प्रस्ताव हेतु जाने पर पत्रावली का गहन अवलोकन करने पर अपीलाधीन आदेश 15.10.2024 को पारित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। उक्त आदेश स्वाभाविक नहीं होने के कारण पूर्व में कभी जानकारी में ही नहीं आया। अचानक अप्रकाशित रूप से प्राथमिक विभाजन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.02.2025 को होने पर तुरन्त तत्परता से नकल हेतु आवेदन पेश नकल प्राप्त करने के प्रयास किए गए, जिस पर दिनांक 27.02.2025 को नकल प्राप्त हुई इसलिए जानकारी से अन्दर अवधि यह आवेदन पेश है। विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय प्रारम्भ से शून्य होना स्पष्ट है। ऐसे शून्य आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु म्याद बाधा नहीं बन सकती हैं, बल्कि जानकारी में आने पर तुरन्त कभी भी अपील पेश की जा सकती हैं। फिर भी देरी ना माने जाने पर न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर अवधि शुमार करने का आदेश प्रदान करावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निम्न न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गई, जो निम्नानुसार है–

1. 1978 RRD 11
2. 2018-19 (Supp.) RRT 170
3. 2018-19 (Supp.) RRT 174

हमने उपर्युक्त न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.10.2024 को प्राथमिक विभाजन बाबत निर्णय पारित किया तथा कोई प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थीं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली जवाबदावा, तलबी एवं आवेदन के निस्तारण के स्तर पर लंबित होने के बावजूद बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसकी किसी भी पक्षकार को जानकारी नहीं थीं। अतः न्यायहित में विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रतियां व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। अतः निर्णय दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती हैं। साथ ही हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल माफी योग्य होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में केवल अपीलाधीन निर्णय व आदेश पारित किया है। पृथक से प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की हैं। अतः अपीलाधीन आदेश के अंतिम पद ऑपरेटिव पैरा को डिक्री मानकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की अद्यतन प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा केवल अपीलाधीन निर्णय व आदेश पारित किया है। पृथक से प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी नहीं किया है, प्रकरण में अपीलांट प्रभावित व पीड़ित पक्षकार है तथा अपीलाधीन आदेश का ऑपरेटिव पैरा डिक्रीतुल्य होता है। अतः अपीलांट को बिना डिक्री पर्चा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

5. विचारण न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रकरण दिनांक 16.02.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.03.2024 तक प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही नहीं हुई तथा दिनांक 20.03.2024 को पत्रावली दीगर प्रतिवादीगण की तलबी व अपीलांट सहित प्रतिवादी संख्या 9 के जवाबदावे में नियत की गई। आदेशिका दिनांक 05.04.2024 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 के अधिवक्ता द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी, जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र में नियत रही। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 31.05.2024 के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2023/77 एवं हस्तगत प्रकरण संख्या 06/2023 को संयोजित किया गया। आदेशिका दिनांक 15.10.2024 के अंकन अनुसार प्रकरण में प्राथमिक विभाजन पर बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण वादपत्र होने के बावजूद तथा पत्रावली जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र एवं दीगर प्रतिवादीगण की तलबी में नियत होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जवाबदावा का अवसर बंद किये बिना, लंबित प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण किए बिना प्रकरण में साक्ष्य लिए बिना तथा प्रकरण अंतिम बहस के स्तर पर नहीं होने के बावजूद प्रकरण में बहस सुनी जाने का अंकन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो हमारे विनम्र मत में आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना पारित किया गया है। जो किसी भी दृष्टि से समर्थन योग्य नहीं हैं।

7. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील बखूबी साबित करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2023 बअनवान मनोहरसिंह बनाम अंतर कंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 08.08.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner